सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान सूचना आयोग

राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

www.ric.rajasthan.gov.in

The Logo of Right to Information

A sheet of paper with information on it, and the public authority behind it, providing the information. This represents people's empowerment through transparency and accountability in governance.

सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2012-13

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान सूचना आयोग

राजस्थान सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड़, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	3–15
3.	अधिनियम का क्रियान्वयन	16–18
4.	संप्रेषण	19–21
5.	परिशिष्ट –1	22–25

अध्याय – 1

प्रस्तावना

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को मिटाते हुए अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचने का जो अर्थ है, उसे लेकर इस अधिनियम के माध्यम से, उसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन–जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहॉ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे ? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं, अथवा नहीं ?यहीं आवश्यक है सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार । अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्य कलाप एवं लेखा–जोखा नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था बन गई है। अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना कामकाज का एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षो में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 में सूचना को सार्वजनिक करना एक दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया था,

उसे सूचना के अधिकार का अधिनियम द्वारा प्रभावहीन कर दिया है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छाओं पर निर्भर था, इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार होगा।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में केन्द्रीय सरकार ने सूचना के अधिकार को अधिक " प्रगतिशील सहभागिता आधारित और सार्थक " बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना अधिकार जन अभियान के मुख्य समर्थकों को शामिल किया गया। उनकी प्रस्तुतियों के आधार पर अगस्त 2004 में सूचना स्वतंत्रता अधिनियम में संशोधनों की सिफारिशें सरकार को सौंपी गई। इसी वर्ष संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 11 मई, 2005 को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धाराएँ 4(1), 5(1)(2) तथा 12,13,15,16,24,27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई, जबकि शेष धाराएँ 12 अक्टूबर, 2005 से देश भर में प्रभावी हुई।

सूचना का अधिकार अधिनियम केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारें (जम्मू कश्मीर को छोड़कर), स्थानीय शहरी निकाय, पंचायती–राज संस्थाएँ, तथा उन सभी निकायों, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन है, पर लागू हो गया है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिन सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, उन सूचनाओं को देने से मुक्त रखा है। सूचना का अधिकार एक मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है।

राजस्थान सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत् राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यक्तानुसार (अधिकतम दस) सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.06 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप श्री एम.डी.कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। श्री एम0डी0 कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.4.2011 को पूर्ण हुआ। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 5.9.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। इसी प्रकार दिनांक 1.9.2010 को सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी0 श्रीनिवासन को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री टी0 श्रीनिवासन को दिनांक 5.9.2011 से मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करने पर यह पद वर्ष के अन्त तक रिक्त है। आयोग एक वैधानिक निकाय है, जो कि पूर्णतया स्वायत्तशाषी है तथा जिसे अपने कार्यो के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नही है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर मे है।

आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्न प्रकार है:–

(ब)संगठनात्मक ढाँचा:–

राजस्थान सूचना आयोग

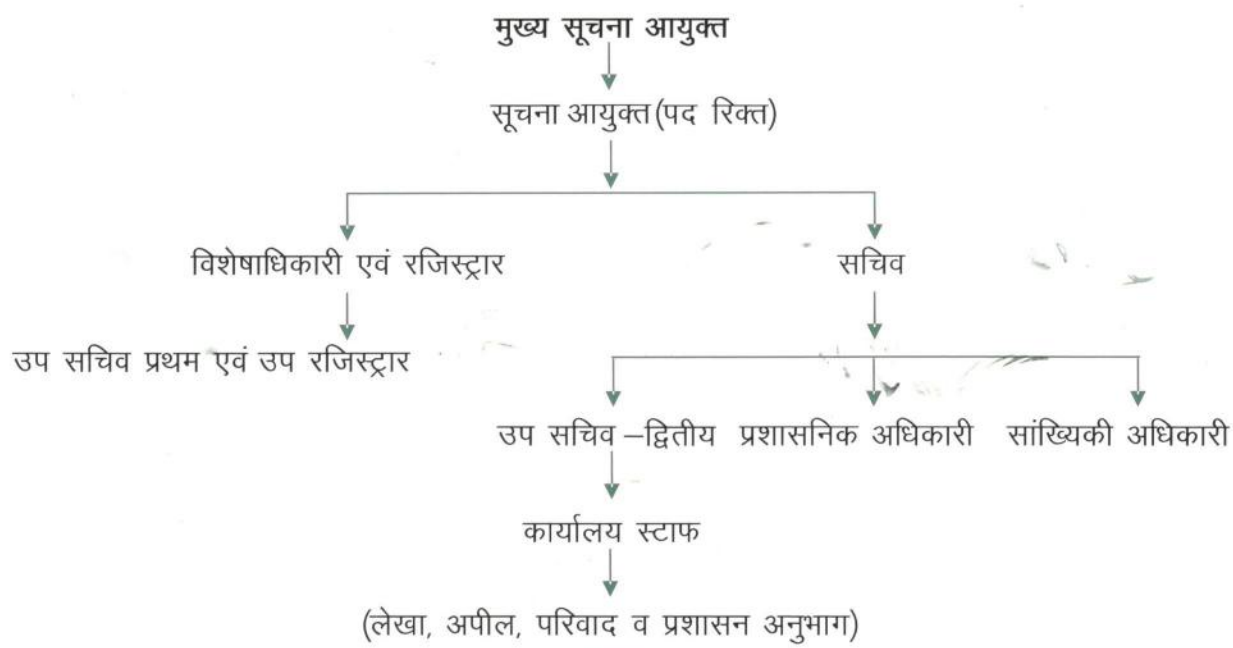

(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18,19 एवं 20 में सूचना आयोग के कृत्य एवं शक्तियों का वर्णन है । आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादन करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ–साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिये लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है जिसे सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है। राज्य सूचना आयोग मे निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षक के अन्तर्गत किया जा सकता है :–

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ :– आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं –

(क) राज्य के राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी ने उसकी आवेदन सूचना/अपील मीमों को अग्रेषित करने के लिये लेने से इंकार कर दिया है।

(ख) लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से मना कर दिया है।

(ग) लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसमें मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।

(ड) लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।

(च) कानून में सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य प्रकरण। धारा 18(1)

राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्यवाही करने में सक्षम है।

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसके उपस्थित होने के लिये बाध्य करना, उसे मौखिक या लिखित सशपथ साक्ष्य देने और दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये विवश करना;

(ख) किसी दस्तावेज की तलाशी और निरीक्षण करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रतिलिपियाँ मंगवाना;

(ड़) साक्षियों अथवा दस्तावेजात के परीक्षण के लिये सम्मन जारी करना; और

(च) अन्य निर्धारित प्रकरण।

राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच मे लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से छूट दी गई श्रेणी में ही सम्मिलित क्यों न हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :–

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को प्राप्त है।

सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील आदेश के पारित होने या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज कर सकता है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य में प्रमाणीकरण का भार संबंधित लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत् सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति आरोपण की शक्तियाँ :–

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ आरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त है। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयोग की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण

(क) सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया है, या

(ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या

(ग) सूचना आवेदन को बदनियती से अस्वीकार कर दिया है, या

(घ) जान–बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या

(ड़) सूचना आवेदन की विषय–वस्तु को नष्ट कर दिया है, या

(च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रूपये 250/– प्रतिदिन की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है जो अधिकतम रूपये 25000/– हो सकती है।

शास्ति आरोपित करने से पूर्व आयोग लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिये विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

यदि संबंधित सूचना आयोग की, शिकायत या अपील का निर्णय करते समय यह धारणा बनती है तो वह लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है।

(4) अधिनियम की कियान्वयन सुनिश्चिति :–

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग अधिनियम की कियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है:–

(1) विशिष्ट रूप में सूचना उपलब्ध करवाने बाबत्।

(2) लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में।

(3) कतिपय सूचना या श्रेणीवार सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

(4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में।

(5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध मे।

(6) उससे अधिनियम की पालना के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन मंगवाने के संबंध में। धारा 19(8)(ए)

(7) सूचना आयोग अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकरण से करवाने के निर्देश जारी कर सकता है। धारा 19(8)(ख)

अधिनियम की धारा 25(1) के अर्न्तगत उसे अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। यह वर्ष की समाप्ति पर प्रति वर्ष अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार उक्त रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या

(2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या

(3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

(4) अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

(5) एकत्रित शुल्क की धन राशि

(6) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिये लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण

(7) सुधार के लिये सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हे सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :–

आयोग के वर्ष 2012–2013 के लिये 133.20 लाख रूपये ''ग्रान्ट इन एड'' के रूप में आवंटन किया गया है। जिसमें से 99.32 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

(6) कार्यालय :–

आयोग का कार्यालय गठन से अक्टूबर, 06 तक योजना भवन में एवं नवम्बर, 06 से हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) में एक आवासीय बंगले में कार्यरत था। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ, में कार्यरत रहा है। वर्ष 2010–2011 के अन्तर्गत हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (OTS) परिसर में आयोग को आंवटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) में कार्यालय भवन निर्माण हेतु रू0 5.00 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। रू0 2.50 करोड़ राज्य सरकार द्वारा एवं रू0 2.50 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित था। माननीय मुख्यमन्त्री, राजस्थान द्वारा दिनांक 20.10.2011 को भवन का शिलान्यास किया गया। राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास निगम को निर्माण करवाने के लिये रू. 5.00 करोड़ की राशि तथा फर्नीचर हेतु 60.00 लाख रू. की राज्य सरकार ने पी.डी. खाते में स्थानान्तरित कर दी है। निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा भवन का लोकार्पण अप्रेल, 2013 में होना सम्भावित है।

(7) नियमावली :–

आयोग ने अपनी स्वयं की ''मैनेजमेन्ट'' नियमावली बना ली है।

(8) क्रियान्विति :–

राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी अधिनियम की धाराऐं 18 से 20 व धारा 25 के अर्न्तगत प्रभावी कार्यवाही की है व आवश्यक कदम उठाये हैं। स्थापना से लगभग छः वर्ष की इस अवधि में पूरे राज्य में लोक अधिकरणों की स्थापना व उन्हे अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत व कार्यरत करने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन–जन तक पहुँचाया। इसी प्रभावशाली प्रचार–प्रसार का ही

परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में ही पुकार है " सूचना का अधिकार ", ऐसे ही माँग है कि "मैं सूचना प्राप्त करने का अधिकारी हूँ।" परिणामस्वरूप वर्ष 2012–2013 में " सूचना के अधिकार" को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलो पर उठाये गये कदमो की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है। वर्ष के प्रारम्भ में 437 परिवाद लम्बित थे तथा वर्ष के दौरान 522 परिवाद पंजीकृत किये गए जिनमें से 270 परिवादों का निस्तारण किया गया एवं वर्ष के अंत में 689 परिवाद लम्बित रहे, जिसका मासिक विस्तृत विवरण निम्नलिखित रुप से है :–

परिवादों की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष शिकायतों की संख्या
अप्रैल, 2012	23	57	403
मई, 2012	119	60	462
जून, 2012	49	26	485
जुलाई, 2012	45	35	495
अगस्त, 2012	19	63	451
सितम्बर, 2012	46	29	468
अक्टूबर, 2012	44	0*	512
नवम्बर, 2012	73	0*	585
दिसम्बर, 2012	56	0*	641
जनवरी, 2013	15	0*	656
फरवरी, 2013	11	0*	667
मार्च, 2013	22	0*	689
योग	**522**	**270**	

***नोट** : दिनांक 14.9.2012 से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में आयोग में परिवादों की सुनवाई नहीं हुई।

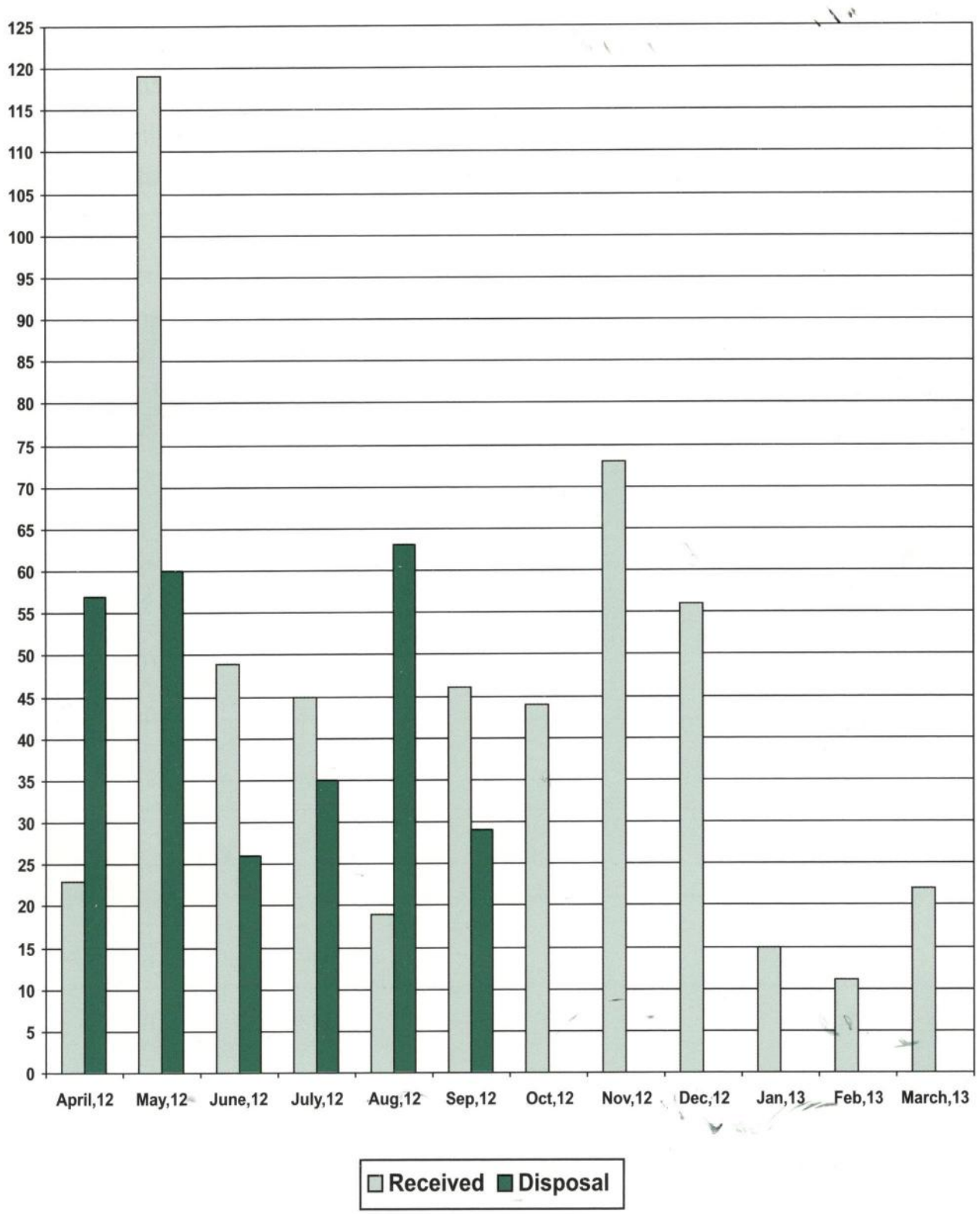

Progress of Complaints

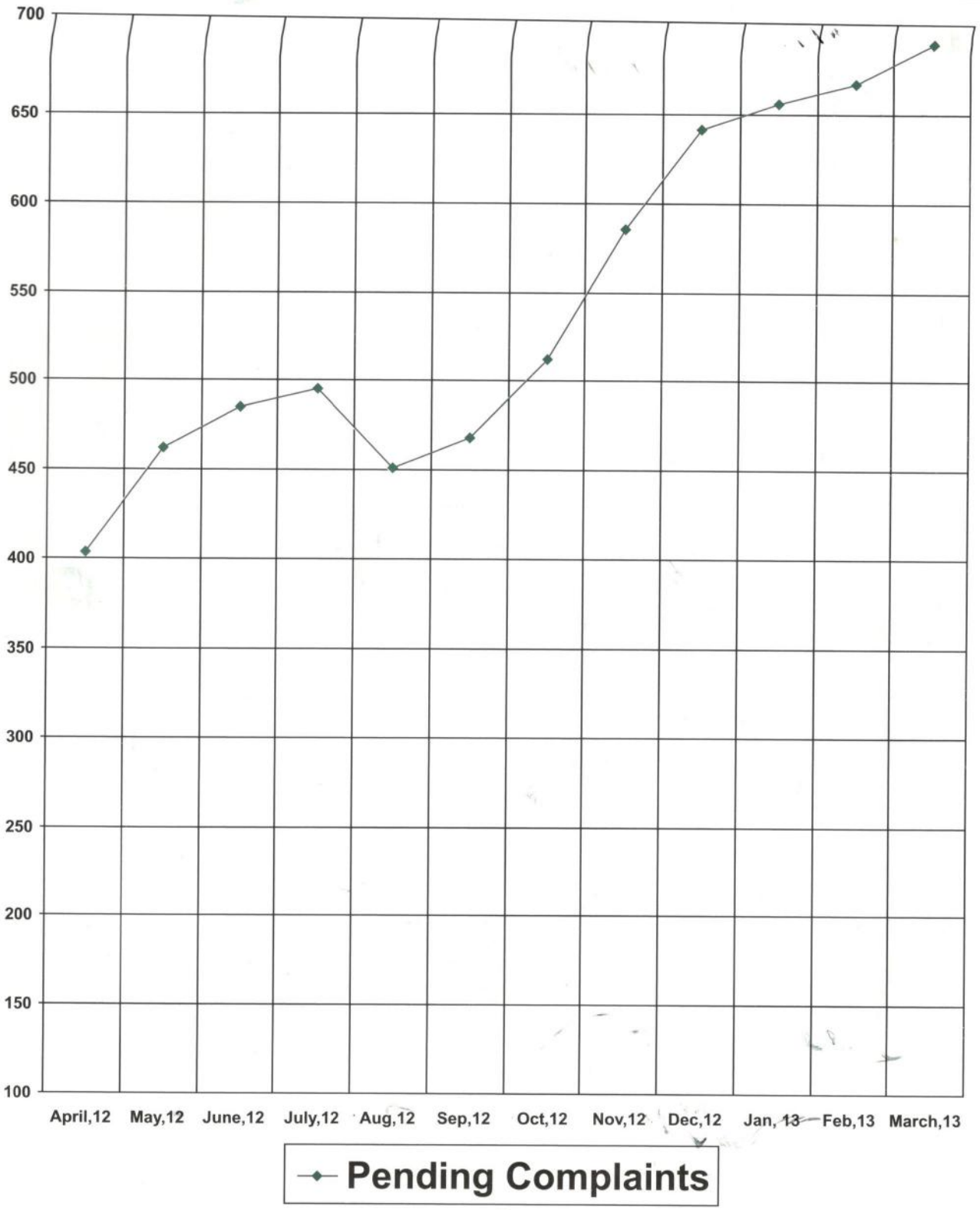

Progress of Pending Complaints

अपील

वर्ष 2012–2013 के प्रारम्भ में 7819 अपीलें लम्बित थीं तथा वर्ष के दौरान 8085 अपीलें पंजीकृत की गई जिनमें से 2251 अपीलों का निस्तारण किया गया तथा वर्ष के अन्त में 13653 अपीलें लम्बित रहीं, जिनका मासिक विवरण निम्नलिखित रुप से है।

अपील की प्रगति की विवरणिका

अवधि	अवधि के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	अवधि के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
अप्रैल, 2012	308	426	7701
मई, 2012	501	472	7730
जून, 2012	1079	264	8545
जुलाई, 2012	382	452	8475
अगस्त, 2012	372	471	8376
सितम्बर, 2012	433	166	8643
अक्टूबर, 2012	522	0*	9165
नवम्बर, 2012	1338	0*	10503
दिसम्बर, 2012	1005	0*	11508
जनवरी, 2013	650	0*	12158
फरवरी, 2013	779	0*	12937
मार्च, 2013	716	0*	13653
योग	**8085**	**2251**	

*नोट :– दिनांक 14.9.2012 से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में आयोग में अपीलों की सुनवाई नहीं हुई।

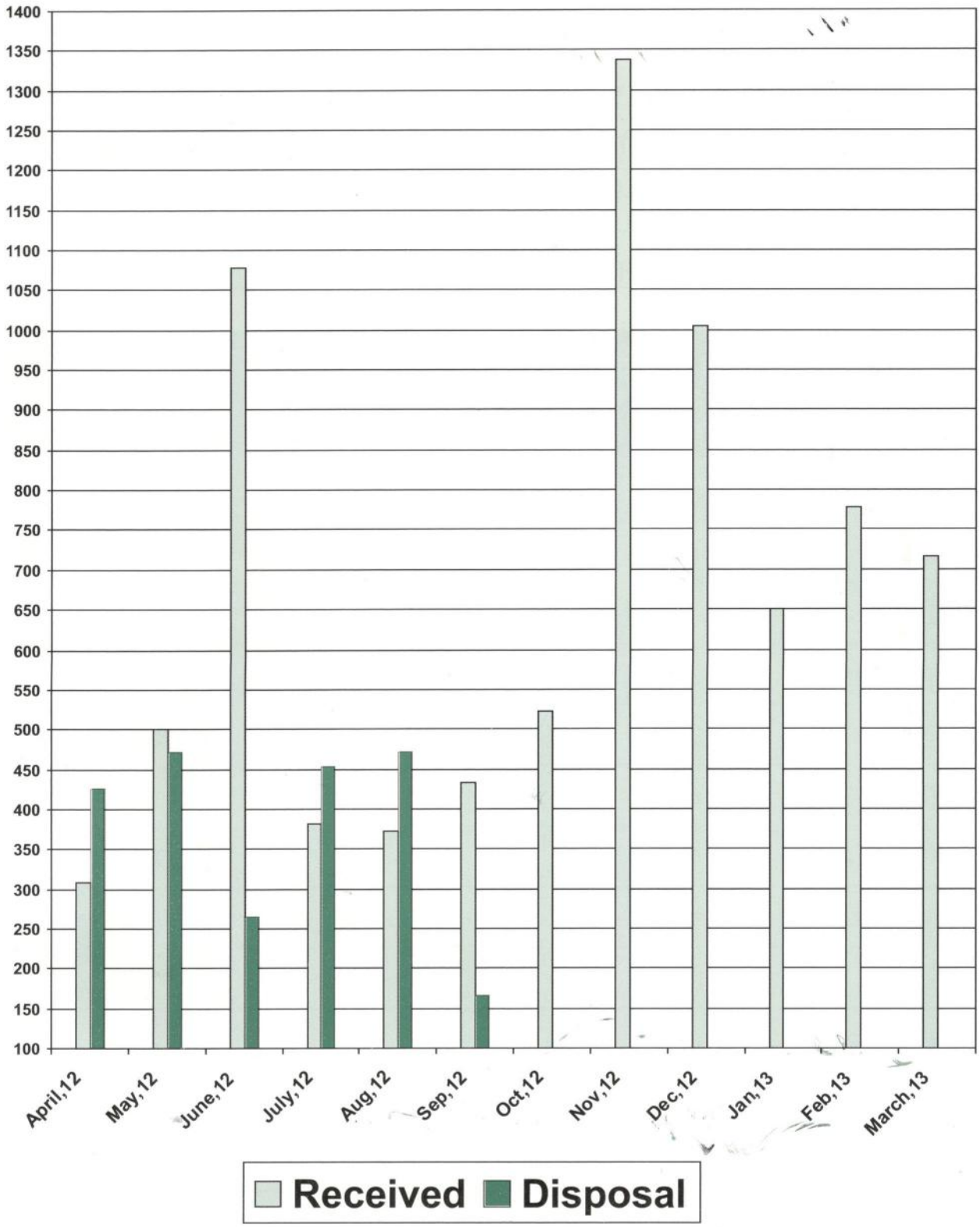

Progress of Appeals

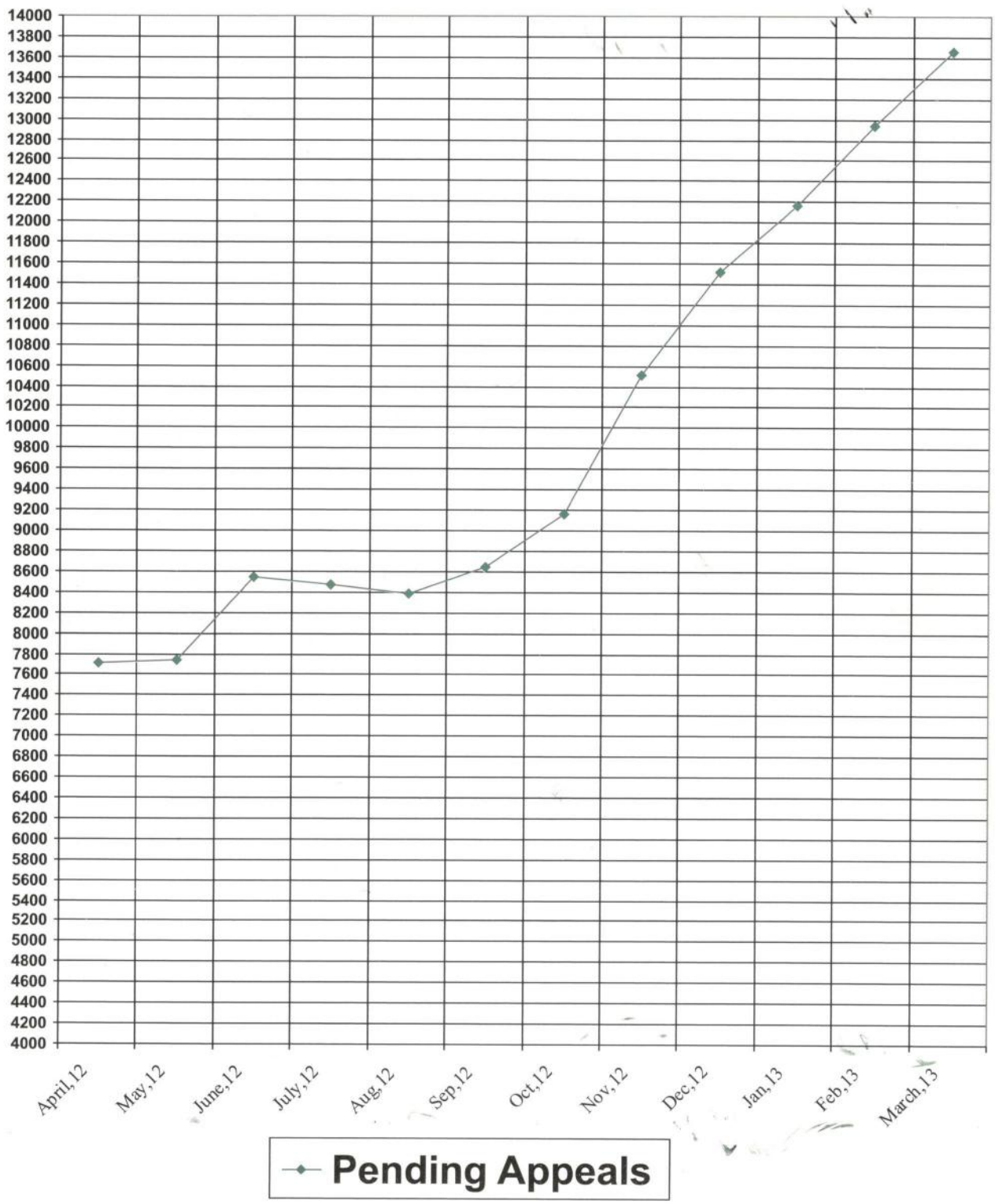

Progress of Pending Appeals

(9). लोक सूचना अधिकारी :– पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने अपने लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों को पदनामित करने के निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रायः सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ इस स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति आदेश कर दिये है।

इन अधिकारियों को ही नही, बल्कि स्वायत्तशाषी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों के पंचों/सरपंचों/ पंचायत समितियों के प्रधानों आदि के प्रशिक्षण हेतु भी समुचित आदेश प्रदान किये गये।

परिणामस्वरूप आज यह आवश्यक हो गया है कि जहाँ कही कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो, वहाँ ''सूचना के अधिकार'' कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। इस आदेश की व्यापक रूप से क्रियान्विति हो रही है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राइसैम व Institute of Local Bodies हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

(10). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2012–2013 में 102 अपीलें/परिवादों में कुल 13,90,000/–रू. की शास्ति आरोपित की गई । आयोग के गठन से वर्ष के अन्त तक की गयी शास्ति में से आलोच्य वर्ष में 8,86,000/–रू. जमा की गयी है। इसी प्रकार वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत 51,000/–रू. की क्षतिपूर्ति के आदेश प्रदान किये गये । आयोग के गठन से वर्ष के अन्त तक किये गये क्षतिपूर्ति आदेशों के विपरीत आलोच्य वर्ष 2012–2013 के अन्तर्गत 25,500/– रू. का सम्बन्धित अपीलार्थियों/परिवादियों को भुगतान किया गया। उल्लेखनीय है कि आलोच्य काल में दिनांक 14.9.2012 से दिनांक 31.03.2013 तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में आयोग में सुनवाई नहीं हो सकी।

आरोपित शास्ति एवं लगाई गई क्षतिपूर्ति का सारणीयन निम्नानुसार है :–

विवरण	शास्ति (रूपयों में)		क्षतिपूर्ति (रूपयों में)	
	आरोपित	जमा राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
अपील/परिवाद	13,90,000	8,86,000	51,000	25,500

अधिनियम का क्रियान्वयन

वर्ष 2005 में बने ''सूचना का अधिकार अधिनियम'' के सम्पूर्ण देश में लागू हो जाने पर, राजस्थान ने अपने तत्सम्बन्धी नियम दिनांक 13.10.2005 को प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी.कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति व मुख्यालय पर पदस्थापन हुआ। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व अपीलों की प्राप्ति, सुनवाई व निर्णय प्रकिया के साथ ही लेखों का उचित निर्धारण व अन्य व्यवस्थायें आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान में अन्तरिम व्यवस्था की गई। बजट आवंटन, उपलब्धि व उपयोग नियमानुसार परिचालित है। आयोग ने अपने न्यायिक कार्यों/प्रक्रियाओं हेतु अपने ''रेगूलेशन्स'' बनाए है जिन्हें राजपत्र में प्रकाशित करवाया है। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड़ पर हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है, निर्मित होने पर नये भवन में आयोग का कार्य माह जून, 2013 में प्रारम्भ होना सम्भावित है।

राज्य सरकार व राज्य आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य मुख्यालय में सचिवालय स्तर पर उप सचिवों को अपने–अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर अपील अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागो हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके अपीलेट अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को अपील अधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/महापौर/सभापति अपील अधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के सचिव/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख अपील अधिकारी

हैं। सहकारी बैंकों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत समस्त संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जहाँ नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों के स्तर पर यह प्रयास सराहनीय रहा, वहीं आज भी आशा की जाती है कि हर विभाग अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप एक सीमा रेखा (Cutting Edge Level) अंकित करेगा, जहाँ तक उसका प्रतिनिधि " लोक सूचना अधिकारी " उपलब्ध होकर, सूचना हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, सूचना उपलब्ध करायेगा।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम–पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि हर नागरिक को यह ज्ञान हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को आदिनांक बनाकर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करावें व वेबसाइट पर दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। कई विभाग, जैसे–शिक्षा, ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संस्कृत विभाग व कुछ अन्य ने अत्यन्त विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर प्रसारित की हैं, जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती है। धारा 4 के अर्न्तगत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। ज्यादातर विभागो ने इस नियम की अनुपालना की है। कई विभागों को यह नही मालूम कि उनके अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारीगण राजकीय निर्देशानुसार "सूचना के अधिकार अधिनियम" की आवश्यकताओं / व्यवस्थाओं हेतु प्रशिक्षित भी हुए अथवा नहीं, जिस हेतु उनके स्वयं के नीति निर्देश है। उनके लिये नियमित रूप से यह भी आवश्यक है कि वे जानें कि उनके विभाग में समय–समय पर कितने परिवाद / अपील आये, कितने निर्णित हुए व कितने समयावधि निकल जाने के पश्चात् भी लम्बित हैं। यह जिम्मेवारी सचिव / विभागाध्यक्ष स्तर पर ही ली जानी होगी, नीचे के किसी अधिकारी पर इस विषयक निर्भरता व्यावहारिक नही होगी।

राज्य सरकार के विभिन्न लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति परिशिष्ट – 1 पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(क) मे यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार के सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के

भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्व हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके ।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओ को स्वयं ऐच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी से विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन ना किया हो। आयोग द्वारा इसकी कियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं मे एकरूपता लाने के लिए आयोग द्वारा प्रारूप (template) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये एवं इस हेतु सभी लोक प्राधिकरणों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है।

सूचना चाहने वाले नागरिकों को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की एक निर्देशिका बनाने के लिए निर्देश दिये गये थे एवं कुछ जिलों में यह मामूली कीमत पर देने के लिए तैयार की गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिए अधिकारियों की सोच मे परिर्वतन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इस अल्प,समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की कियान्विति संतोषजनक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून 2005 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात्, लगभग सात वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। राज्य सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान होता रहा है। इन्ही चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से है :–

1. यह कि अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाऐं भी जागी है। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ–साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत सूचनाओं की मॉग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहॉ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है, किन्तु जिस सूचना को देने में, पुराने रिकॉर्ड की छानबीन करनी पड़े या फिर अनेकों पत्रावलियों को देखकर उनमें से तथ्य एकत्रित करने की आवश्यकता हो, वहॉ यह पाया जा रहा है कि अधिकारी/कर्मचारीगणों में कुछ अनचाहेपन या टालमटोल की मानसिकता है।
4. वस्तुतः सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्कता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें व लाभ उठावें। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। गैर–राजकीय संगठन भी इस क्षेत्र में अपना योगदान देने हेतु आगे आये हैं, पर उनका प्रभाव क्षेत्र सीमित होने के कारण उन्हे ज्यादा सफलता नही मिल पाई है। वस्तुतः यदि इस अधिकार को व्यापक रूप दिया जाना है तो सरकार को इस दिशा में अपनी ओर से भी कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में प्रथमतया हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। सात वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर

लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश होना आज की पहली आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेकों लोक सूचना अधिकारीगणों तथा ऐसे सभी स्तरों तक, जिनका अधिकार के इस अधिनियम के अर्न्तगत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नही पहुँच पाई है, जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत जिन लोक सूचना अधिकारीगणों से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नही दे रहे। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे है, जिन्हे विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नही होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है।

8. सूचना के अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्रकरण की " प्रथम अपील " एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस विषयक वस्तुःस्थिति के अवलोकन पर पाया गया कि " प्रथम अपील " के निपटारे की स्थिति कतई सन्तोषप्रद नही है। प्रथम अपील सुनने वाले लोक अधिकारीगण अपने यहॉ लम्बित प्रकरणों को या तो निपटा ही नही रहे हैं, या फिर यह निपटारा नियमों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर नही हो रहा है। परिणामस्वरूप प्रार्थीगण मजबूर होकर राज्य आयोग के सम्मुख " दूसरी अपील " ले जा रहे हैं, जहाँ इसकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।

9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकेटेड सैल भी गठित किया गया है जो कि अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। इस डेडीकेटेड सैल का पुर्नगठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के यहां जिला स्तरीय अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी) की बैठक रखी जानी प्रस्तावित है। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जायेगा। जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण

व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कोई जानकारी अधिकारियों/आमजन के लिये उपलब्ध नहीं थी। गत वर्ष विभाग ने वेबसाईट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ–साथ राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील अधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ ''हस्तपुस्तिका'' तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है। जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सके।

10. अधिनियम की धारा – 4 में यह प्रावधान है कि हर लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि यह भी कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करावेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी ''वेबसाईट'' पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध कराई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ' वेबसाईट्स ' में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर आदिनांक (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेकों सूचनाओं को निर्धारित छपे हुए रूप में फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है।
11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित ''गैर सरकारी संगठन'' जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि द्वारा वित्त पोषित है, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेकों संस्थाऐं हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही है।,
12. यह कि विभागों द्वारा अपने–अपने '' रिकॉर्ड्स '' का सही रख–रखाव न रखे जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना–पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है।

जैसे–जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारी व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारी/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोतर विकास होगा, जो कि प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2012-13)

प्रपत्र – क

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2012-13 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
1	राजस्व मण्डल	458	435	23	412	31	1	14	8763
2	समेकित बाल विकास विभाग	781	410	371	716	38	16	11	16395
3	विभागीय जांच	12	8	4	12	0	0	0	534
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	3426	2326	1100	2640	401	117	268	77791
5	आयुर्वेद विभाग	914	775	139	629	234	11	40	12712
6	गृह विभाग	791	565	226	606	111	25	49	16723
7	वित विभाग	6320	4914	1406	6085	98	78	59	77780
8	पर्यावरण	49	49	0	45	0	0	4	1136
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	159	159	0	87	50	0	22	2052
10	अल्प संख्यक मामलात	314	292	22	240	30	5	39	2575
11	स्थानीय निकाय एवं स्वायत शासन विभाग	987	987	0	518	406	0	63	33841
12	जयपुर विकास प्राधिकरण	9920	9920	0	8913	1007	0	0	419329
13	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	100	92	8	100	0	0	0	985
14	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल विभाग	33	33	0	33	0	0	0	818
15	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	1086	1086	0	963	123	0	0	10860
16	जवाहर कला केन्द्र	5	5	0	5	0	0	0	86
17	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	155	155	0	154	0	0	1	2466
18	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	7	7	0	7	0	0	0	70
19	राजस्थान निर्वाचन आयोग	44	44	0	44	0	0	0	366
20	आयोजना विभाग	89	87	2	86	3	0	0	2148
21	एच.सी.एम. रीपा	64	64	0	54	0	0	10	9182
22	विधि विभाग	272	272	0	202	24	46	0	4236
23	उर्जा विभाग	9845	9370	475	6914	1644	0	1287	189055
24	उद्योग विभाग	2576	1538	1038	2331	63	112	70	99543
25	जल संसाधन विभाग	1715	1339	376	1602	47	35	31	167511
26	तकनीकी शिक्षा विभाग	731	707	24	690	24	1	16	23197
27	राजभवन, जयपुर	260	260	0	259	0	1	0	1798
28	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रीमण्डल विभाग	1163	1140	23	1095	46	14	8	11249
29	राजस्थान लोक सेवा आयोग	8685	8685	0	1717	1701	4281	986	159691

क्र. सं.	विभाग	प्राप्त परिवाद			सूचनाएँ प्रदत्त		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2012-13 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	जिला मुख्यालय पर प्राप्त	अन्य	समयावधि में	समयावधि के बाद			
30	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	8	8	0	1	7	0	0	110
31	सहकारिता विभाग	4367	3809	558	4031	217	72	47	129802
32	राजस्थान आवासन मण्डल	6355	5938	417	6030	180	9	136	91647
33	कृषि विभाग	537	537	0	473	45	5	14	30884
34	सावर्जनिक निमाण विभाग	3649	2668	981	3324	148	69	108	134967
35	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	14	14	0	12	2	0	0	708
36	नगर निगम, जयपुर	4826	4420	406	3573	801	1	451	69370
37	सैनिक कल्याण	79	22	57	79	0	0	0	696
38	श्रम एवं नियोजन विभाग	278	272	6	201	48	19	10	2773
39	पर्यटन विभाग	296	294	2	196	97	1	2	7044
40	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2681	2240	441	2219	148	59	255	12141
41	राजस्थान सूचना आयोग	884	884	0	878	6	0	0	10164
42	उच्च शिक्षा विभाग	530	530	0	69	461	0	0	7288
43	देवस्थान विभाग	1098	964	134	1048	21	23	6	47710
44	वन विभाग	2260	1881	379	1801	268	77	114	57635
45	निर्वाचन विभाग	809	400	409	753	29	18	9	16256
46	राज्य महिला आयोग	121	121	0	118	3	0	0	2781
47	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	61	61	0	60	0	0	1	500
48	कार्मिक विभाग	1754	1754	0	1696	34	18	6	34008
49	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	3422	2845	577	2492	464	190	276	212691
50	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1714	1714	0	1399	284	11	20	24070
51	संस्कृत शिक्षा विभाग	378	243	135	350	13	15	0	7445
52	परिवहन विभाग	5417	4952	465	5028	269	10	110	57472
53	कला, साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	841	821	20	581	256	0	4	11548
54	सम्पदा विभाग	62	25	37	62	0	0	0	3698
55	पशुपालन विभाग	433	433	0	248	170	0	15	10037
56	सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	187	174	13	170	0	4	13	7680
57	उद्यान निदेशालय	235	184	51	234	1	0	0	17138

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण (वर्ष 2012-13)

प्रपत्र –ख

क्र.	विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल	47	21	26	0
2	समेकित बाल विकास विभाग	87	76	11	0
3	विभागीय जांच	2	2	0	0
4	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	262	238	6	18
5	आयुर्वेद विभाग	75	23	7	45
6	गृह विभाग	27	6	21	0
7	वित विभाग	496	313	157	26
8	पर्यावरण	4	2	2	0
9	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	17	15	0	2
10	अल्प संख्यक मामलात	14	14	0	0
11	स्थानीय निकाय एवं स्वायत शासन विभाग	79	5	29	45
12	जयपुर विकास प्राधिकरण	1264	1180	84	0
13	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग	6	5	1	0
14	राज0 राज्य पाठयपुस्तक मण्डल विभाग	0	0	0	0
15	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	98	0	98	0
16	जवाहर कला केन्द्र	2	2	0	0
17	राज0 राज्य मानवाधिकार आयोग	13	0	13	0
18	राज0 शिक्षा कर्मी बोर्ड	0	0	0	0
19	राजस्थान निर्वाचन आयोग	0	0	0	0
20	आयोजना विभाग	8	8	0	0
21	एच.सी.एम. रीपा	3	0	3	0
22	विधि विभाग	39	4	35	0
23	उर्जा विभाग	1222	489	555	178
24	उद्योग विभाग	271	168	90	13
25	जल संसाधन विभाग	69	52	13	4
26	तकनीकी शिक्षा विभाग	49	40	3	6
27	राजभवन, जयपुर	16	0	16	0
28	सामान्य प्रशासन एवं मन्त्रीमण्डल विभाग	0	0	0	0

क्र.	विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
29	राजस्थान लोक सेवा आयोग	966	256	647	63
30	जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग	0	0	0	0
31	सहकारिता विभाग	226	196	26	4
32	राजस्थान आवासन मण्डल	375	295	64	16
33	कृषि विभाग	0	0	0	0
34	सावर्जनिक निमाण विभाग	250	190	18	42
35	आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग	0	0	0	0
36	नगर निगम, जयपुर	1142	635	462	45
37	सैनिक कल्याण	0	0	0	0
38	श्रम एवं नियोजन विभाग	25	23	0	2
39	पर्यटन विभाग	18	18	0	0
40	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	103	61	13	29
41	राजस्थान सूचना आयोग	73	39	34	0
42	उच्च शिक्षा विभाग	78	78	0	0
43	देवस्थान विभाग	81	28	53	0
44	वन विभाग	183	154	18	11
45	निर्वाचन विभाग	42	29	11	2
46	महिला आयेाग	3	3	0	0
47	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	5	2	0	3
48	कार्मिक विभाग	198	198	0	0
49	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	152	36	54	62
50	चिकित्सा शिक्षा विभाग	317	229	88	0
51	संस्कृत शिक्षा विभाग	47	47	0	0
52	परिवहन विभाग	317	317	0	0
53	कला,साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	23	22	1	0
54	सम्पदा विभाग	6	6	0	0
55	पशुपालन विभाग	42	42	0	0
56	सिंचित क्षैत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	7	5	0	2
57	उद्यान निदेशालय	13	13	0	0

समोऽतं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

श्रीमद्भगवतगीता

अर्थात्

मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
मैं सभी के लिये समभाव हूँ।

यथेमां वाचं कल्याणीम् - आवदानि जनेभ्यः

(यजुर्वेद)

अर्थात्

यह जानकारी मैं जन-जन को दूँगा,
क्योंकि यही हितकारी होगा।

आवदानि जनेभ्यः

राजस्थान सूचना आयोग

मुद्रक : राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर